उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 01/2015

सुमन कुमार गिरीह बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
23-03-2018	**–: आदेश :–**	

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना, एवं निम्न न्यायायल द्वारा पारित आदेश तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मेरे द्वारा समर्पित कागजातों तथा तथ्यों को अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो नियम के प्रतिकुल है। इनका यह भी कहना है कि ट्रक संख्या JH-10Q-2787 एवं उसपर लदे कोयला आदर्श कोल सेल एण्ड परचेज इण्डस्ट्रीयल ट्रान्सपोर्टिंग को–आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, माण्डू, जिला–रामगढ़ द्वारा निर्गत चलान संख्या–10 दिनांक 10.04.2011 के माध्यम से प्राप्त है तथा नामकुम रांची के लिए ले जाया जा रहा था। इन्होने अपील आवेदन को स्वीकृत एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को Sat-aside करने हेतु अनुरोध किया है।

निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त जप्त कोयला अवैध तरीके से वन भूमि क्षेत्र अंतर्गत खनन करके निकासी नही की गई है के संबंध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं।

निम्न न्यायालय द्वारा राज्यसात वाद संख्या 32/2011 राज्य बनाम ट्रक संख्या JH-10Q-2787 के स्वामी में दिनांक 25.03.2015 को पारित आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नही है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

23/3/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

23/3/18

उपायुक्त,
रामगढ़।